रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092020-221485
CG-DL-E-01092020-221485

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 434] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2020/भाद्र 10, 1942
No. 434] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2020/BHADRA 10, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 540(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 का और संशोधन करने के लिए नियमों का प्रारूप, मोटर यान अधिनियम, 1988(1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 377(अ), तारीख 16 जून, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन व्यक्तियों से जिनके प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से जिसको उक्त प्रारूप नियमों से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 16 जून, 2020 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988(1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर नियम, 1989 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (आठवां संशोधन) नियम, 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 138 के उप नियम (4) के खंड (घ) में "1% जेल की फेराक्राइलम ट्यूब" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ।

[फा.सं. आरटी-11036/86/2017-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 457(अ), तारीख 20 जुलाई, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2020

G.S.R. 540(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 377 (E), dated the 16th day of June, 2020, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date of which copies of the Official Gazette containing the draft rules were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 16th June, 2020;

And whereas, objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Eighth Amendment) Rules, 2020.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 138, in sub-rule (4), in clause (d), the words and figure "a tube of Feracrylum of 1% gel " shall be omitted.

[F.No. RT-11036/86/2017-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i),vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd day of June, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R.457 (E), dated 20th July, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM